महत्वपूर्ण

संख्या– 156 / सू0एवंज0स0वि0(फि0ब0)–93/2015

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 25 नवम्बर, 2015

विषय :– जनपद स्तर पर ''फिल्म प्रमोशन एण्ड फेसेलिटेशन कमेटी'' का गठन।

महोदय,

प्रदेश में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म नीति–2015 प्रख्यापित की गयी है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में फिल्म–निर्माण के साथ ही स्थानीय कलाकारों को रोजगार व फिल्म इन्डस्ट्री के माध्यम से पूंजी निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है तथा इसके सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

इस कम में फिल्म निर्माण की प्रकिया को और गतिशील एवं सरल बनाने के लिये मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 10 सितम्बर, 2015 को मुम्बई में फिल्म बन्धु उ0प्र0 के लिये 'सिंगल विन्डो क्लीयरेन्स सिस्टम' एवं आनलाईन आवेदन प्रकिया का शुभारंभ किया गया है।

उक्त व्यवस्था के प्रभावी कियान्वयन तथा फिल्म–निर्माताओं को नियमानुसार आवश्यक सुविधाएँ यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के लिये जनपद स्तर पर निम्नानुसार ''फिल्म–प्रमोशन एण्ड फेसेलिटेशन कमेटी'' का गठन किया जाता है:–

01.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
02.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
03.	अपर जिलाधिकारी (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य/नोडल अधिकारी
04.	उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला सूचना अधिकारी/ प्रभारी जिला सूचना अधिकारी	सदस्य/संयोजक
05.	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/पर्यटन अधिकारी	सदस्य

उक्त कमेटी फिल्म निर्माताओं द्वारा फिल्म की शूटिंग के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर शूटिंग स्थल की अनुमति, फिल्म यूनिट की सुरक्षा व्यवस्था, नियमानुसार भुगतान करने पर शासकीय गेस्ट हाउस/पर्यटन अतिथि गृह में उनके ठहरने की व्यवस्था तथा शूटिंग के बाद शूटिंग दिवसों के संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय से प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्र के समयबद्ध निर्गमन आदि का अनुश्रवण करेगी तथा जनपद में विभागों के स्तर पर आने वाली कठिनाईयों का त्वरित निराकरण भी करायगी। समिति की बैठक प्रतिमाह नियमित रूप से आयोजित की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार समिति में सदस्यों को नामित करते हुए उनके नाम, पदनाम, दूरभाष/मोबाइल संख्या तथा ई–मेल आई.डी. आदि की सूचना फिल्म बन्धु उत्तर प्रदेश की ई–मेल आई.डी. filmbandhuup@gmail.com पर तथा निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

पत्र संख्या– /सू0एवंज0स0वि0(फि0ब0)–93/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।
2. समस्त जनपदों के उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला सूचना अधिकारी।
3. समस्त क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/पर्यटन अधिकारी।

(नवनीत सहगल)
प्रमुख सचिव
सूचना